

पूर्ववर्ती पेंशन योजना

प्रलिस के लयि:

नई पेंशन योजना, पूर्ववर्ती पेंशन योजना, PFRDA | राष्ट्रीय पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र |

मेन्स के लयि:

पूर्ववर्ती पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा [पूर्ववर्ती पेंशन योजना](#) को बहाल करने का वादा किया गया |

पूर्ववर्ती पेंशन योजना:

परचिय:

- यह योजना सेवानिवृत्त के बाद **आजीवन आय का आश्वासन देती है** |
- **पूर्ववर्ती पेंशन योजना (OPS)** के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतिम आहरित वेतन का आधा (50%) होता है तथा उन्हें वर्ष में **दो बार महंगाई राहत (Dearness Relief)** में संशोधन का भी लाभ मिलता था | भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी | इसके अलावा OPS के तहत **सामान्य भविय नधि (General Provident Fund-GPF)** का भी प्रावधान था |
 - GPF भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है | मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है | साथ ही कुल राशि जो रोजगार की अवधि के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है |
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है | **वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था** |

चुनौतियाँ:

- **वर्तित रहति पेंशन देयता:**
 - मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन देयता वर्तितपोषित नहीं थी अर्थात् पेंशन के लिये विशेष रूप से ऐसा कोई कोष नहीं था जो **लगातार बढ़े और भुगतान के लिये उपयोग किया जा सके** |
 - भारत सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक वर्ष पेंशन का प्रावधान किया जाता है, भविय में साल-दर-साल भुगतान करने के तरीके पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी |
- **अस्थिरता:**
 - OPS भी अस्थिर था | हालाँकि पेंशन देनदारियाँ बढ़ती रहेंगी क्योंकि पेंशनरों के लाभ में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होगी, जैसे मौजूदा कर्मचारियों का वेतन, पेंशनरों को इंडेक्सेशन से प्राप्त लाभ या जिसे **'महंगाई राहत'** कहा जाता है |
 - इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से **जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी और दीर्घायु में वृद्धि का अर्थ वस्तुतः भुगतान होगा** |
 - इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन का भारी बोझ पड़ा है |

संबद्ध चिंताओं को दूर करने के लिये बनी योजनाएँ:

- वर्ष 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा (OASIS)** परियोजना के लिये एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया | विशेषज्ञ समिति द्वारा इस रिपोर्ट को जनवरी 2000 में प्रस्तुत किया गया |
- **OASIS का प्राथमिक उद्देश्य** उन [असंगठित क्षेत्र](#) के शर्मकों पर केंद्रित था जिन्हें वृद्धावस्था में आय सुरक्षा संबंधी समस्याएँ थी |
- OASIS रिपोर्ट के अनुसार, नविशकों को तीन अलग-अलग प्रकार के फंड में नविश करना चाहिये, यथा: वृद्धि, संतुलित और सुरक्षित **ये फंड छह अलग-अलग फंड प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे** |

- शेष राशिका नविश कॉर्पोरेट बॉण्ड या सरकारी प्रतभूतियों में कथिा जाएगा । इसके लथि वशिष सेवानवित्त खिाते होंगे और इसमें कम-से-कम 500 रुपए प्रतविरूष नविश करने की आवश्यकता होगी ।
- सेवानवित्त के बाद सेवानवित्त खिाते से कम-से-कम 2 लाख रुपए का उपयोग बीमा खरीदने के लथि कथिा जाएगा ।
 - एक बीमा प्रदाता इस राशिका नविश करता है और उस वथकता के शेष जीवन तक एक नश्चिति मासकि आय प्रदान करता है जो कि रपिर्त तैयार करने के समय 1,500 रुपए थी ।

नई पेंशन योजना की पेशकश के कारण:

■ परचिय:

- OASIS रपिर्त ही नई पेंशन योजना का आधार बनी, जसि दसिंबर 2003 में अधसिूचति कथिा गया था ।
- केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से प्रभावी **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)** की शुरुआत की (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ।
 - वर्ष 2018-19 में NPS को कारगर बनाने तथा इसे और अधकि आकर्षक बनाने के लथि केंद्रीय मंत्रमिंडल ने NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वति करने हेतु **योजना में बदलावों** को मंजूरी दी ।
- **पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में** NPS को सरकार द्वारा लॉन्च कथिा गया था ।
 - 2000 के दशक की शुरुआत के शोध का हवाला देते हुए एक समाचार रपिर्त के अनुसार, भारत का पेंशन ऋण नथितरण से परे के स्तर तक पहुँच रहा था ।
- NPS की शुरुआत के बाद केंद्रीय सविलि सेवा (पेंशन) नथिम, 1972 में संशोधन कथिा गया था ।
- सेवानवित्त के बाद एक वथकता पेंशन राशिका एक हसिसा एकमुश्त नकिल सकता है और शेष का उपयोग नथिमति आय के लथि बीमा खरीदने के लथि कर सकता है ।

■ कार्यान्वयन:

- NPS को देश में PFRDA (पेंशन फंड नथिमक और वकिस प्राधकिरण) द्वारा कार्यान्वति एवं वनथिमति कथिा जा रहा है ।
- PFRDA द्वारा स्थापति **नेशनल पेंशन ससि्टम ट्रस्ट (NPST)**, NPS के तहत सभी परसिपत्तियों का पंजीकृत मालकि है ।

■ वशिषताएँ:

- NPS का अखलि नागरकि मॉडल 18-70 वर्ष की आयु के भारत क सभी नागरकों (NRIs सहति) को NPS में शामिल होने की अनुमति देता है ।
- यह एक भागीदारी योजना है, जहाँ कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं, जसिमें सरकार का भी समान योगदान होता है । इसके बाद फंड को **पेंशन फंड मैनेजरस के माध्यम से नरिधारति नविश योजनाओं में नविश कथिा जाता है** ।
 - इस NPS में सरकार द्वारा नथिोजति लोग NPS में अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि उनके नथिोक्ता 14% तक योगदान करते हैं ।
 - वर्ष 2019 में वतित मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास पेंशन फंड (PF) और नविश पैटर्न का चयन करने का वकिलप है ।
- **रटायरमेंट के समय वे कॉर्पस का 60% नकिल सकते हैं**, जो टैक्स-फ्री है और बाकी 40% ऐनयुइटी में नविश कथिा जाता है, जसि पर टैक्स लगता है ।
- यहाँ तक कि निज़ी वथकता भी इस योजना का वकिलप चुन सकते हैं ।

■ NPS के साथ समस्याएँ:

- OPS के वपिरीत **NPS में कर्मचारियों को महँगाई भत्ते के साथ मूल वेतन का 10% जमा करने की आवश्यकता होती है** । GPF का कोई लाभ नहीं है और पेंशन की राशितय नहीं है । इस योजना के साथ प्रमुख मुद्दा यह है कि **बाज़ार से जुड़ा हुआ है तथा रटिर्न-आधारति है** । सरल शब्दों में भुगतान अनश्चिति है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो सकता है? (2017)

- केवल नविसी भारतीय नागरकि
- केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के वथकता
- अधसिूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी तथा संबधति राज्य की सरकारों द्वारा अधसिूचना कथि जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आये हैं
- सशस्त्र बलों सहति केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 या उसके बाद सेवाओं में शामिल हुए हैं

उत्तर: (C)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

